



बिहार शिक्षा परियोजना, गया

मेवाल बिगहा मोड़, गया-823001

Web :- www.educationbypn.in, Email Id- bepnaya@gmail.com

पत्रांक: PV.1/MGT/27/2021-22/2384

प्रेषक,

असगर आलग सौ,
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रारंभिक शिक्षा एवं सार्व शिक्षा अभियान
-सह-सदस्य सचिव,
जिला प्रस्वीकृति समिति, गया।

प्रेषित,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक,
सेकेंड्री टून पब्लिक स्कूल,
ग्राम-पाण्डेय परसगवां, कछुआ रोड,
पोस्ट-परसगवां, थाना-मेडिकल,
गया-823001

गया, दिनांक 21/12/22

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा-18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के नियम-11, उपनियम-05 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय/महाशया,

आपके आवेदन -पत्र, दिनांक 26.09.2022 के आलोक में Lakshmi Kedar Educational Social Welfare Society के अधीन संचालित विद्यालय Sec. Doon Public School, Vill- Pandey Parsawan, Kasthua Road, Gaya को कक्षा-01 से कक्षा-08 तक संचालन हेतु 21.12.2025 तक की अवधि के लिए औपचारिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी:-

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा-08 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक-1) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली-2011, (अनुलग्नक-02) के प्रावधानों का आवश्यक रूप से अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा-01 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस/पोपक क्षेत्र के कमजोर वर्ग एवं अलापकारी समूह के बच्चों (EWS) का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उराकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कंडिका-03 में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के धारा-12 की उपधारा- 02 के आलांक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग बैंक खाता का संचालन करेगा।
5. सोसाईटी/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कंपिटेशन फीस प्राप्त नहीं किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा, उराके माता-पिता या अभिभावक का सखीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।



बिहार शिक्षा परियोजना, गया

गेवाल बिगहा मोड़, गया-823001

Web :- www.educationgaya.in, Email Id- benevaya@gmail.com

6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उग्र प्रमाण-पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म-स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे :-
 - i. किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
 - ii. किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
 - iii. किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
 - iv. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम-22 के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - v. अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
 - vi. शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा-23 की उपधारा-01 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत वैसी सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 31 मार्च, 2019 तक अनिवार्य रूप से निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।
 - vii. विद्यालय के सभी शिक्षक अधिनियम की धारा-24 की उपधारा-01 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
 - viii. शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।
8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पट्टाकरण एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत् है-

क. विद्यालय-परिसर का क्षेत्रफल :	- 02 एकड़
ख. कुल निर्मित क्षेत्र :	- 10000 वर्गफीट।
ग. खेल के मैदान का संख्या :	- 01 (75000 वर्गफीट)।
घ. वर्गकक्षों की कुल संख्या :	- 16 वर्गकक्ष।
च. प्रधानाध्यापक- सह- कार्यालय- सह भंडार कक्ष :	- उपलब्ध है।
छ. बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय :	- उपलब्ध है। (बालक-06, बालिका-06)
ज. पेयजल की सुविधा :	- उपलब्ध है।
झ. मध्याह्न भोजन के लिए रसोई-घर :	- आवश्यक नहीं।
ट. वाधारहित पहुँच :	- हैं।

Signature



बिहार शिक्षा परियोजना, गया

गेवाल बिगहा मोड़, गया-823001

Web :- www.educationgava.in, Email Id- bepegava@gmail.com

- ट. शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल-कूद उपकरण/पुस्तकालय : -पर्याप्त मात्रा में, पुस्तकालय एवं साइंस प्रयोगशाला है।
11. कोई भी अप्रसवीकृत वर्गकक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।
 12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
 13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
 14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
 15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष कार्यालय, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान, गया को भेजी जाएगी।
 16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रसवीकृति कोड संख्या G-0133/Pvt.S/2022 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाए।
 17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान, गया के द्वारा समय-समय पर मांग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएं, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रसवीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर जारी सभी अनुदेशों का अनिवार्य रूप से अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
 18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।
 19. अनुलग्नक-III के रूप में संलग्न अन्य शर्तें।
 20. प्रसवीकृति हेतु उपलब्ध करायी गयी कोई भी जानकारी/सूचना यदि असत्य पाया गया तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबंधन का होगा और प्रसवीकृति स्वतः रद्द कर दिया जाएगा।

अनुलग्नक: यथोक्त।

Handwritten signature

विश्वरागाजन,

A-20.11.22

(असगर आलम खॉ)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,

प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान

-राह- सदस्य सचिव, जिला प्रसवीकृति समिति,
गया।